



Neutral Citation No. - 2026:AHC:180575

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

धारा 482 बीएनएसएस के तहत आपराधिक विविध अग्रिम जमानत आवेदन संख्या

- 8182 वर्ष 2026

गुरुदीप सिंह उर्फ कालू और 3 अन्य

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य

.....प्रतिवादी

आवेदक के अधिवक्ता : काशिफ ज़ैदी

प्रतिवादी के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता, मयंक मौर्य

न्यायालय संख्या - 71

माननीय न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।
सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



1. आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता, श्री राम अनुज प्रजापति, विद्वान अधिवक्ता, जो सूचनादाता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री मयंक मौर्य के संक्षिप्त धारक हैं, तथा राज्य के विद्वान ए.जी.ए. को सुना गया।

2. वर्तमान अग्रिम जमानत आवेदन आवेदकों की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 0496 सन् 2025, धारा 308(5), 127(7), 76, 329(3), 351(3), 115(2), 190, 191(3), 191(2) बी.एन.एस., थाना-सहावर, जनपद-कासगंज में इस प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है कि आवेदकों को अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाए, क्योंकि आवेदकों को उपर्युक्त मामले में अपनी गिरफ्तारी की आशंका है।

3. आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि पक्षकारों के बीच सिविल विवाद के कारण केवल आवेदकों पर दबाव बनाने के उद्देश्य से यह झूठी प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि प्रथम सूचनादाता के पति तथा अन्य व्यक्तियों ने तहसीलदार द्वारा दिनांक 19.03.2020 को पारित आदेश के आधार पर राजस्व अभिलेखों में अपने नाम दाखिल-खारिज करा लिए थे। आवेदकों ने उक्त आदेश के विरुद्ध अपील प्रस्तुत की और उप-जिलाधिकारी, कासगंज ने दिनांक 26.09.2024 के आदेश द्वारा दिनांक 19.03.2020 के आदेश के प्रभाव एवं संचालन पर रोक लगा दी है। तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत अपील अंततः स्वीकार कर ली गई है और मामले को नए सिरे से निर्णय किए जाने हेतु वापस भेज दिया गया है। आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया है कि आवेदक संख्या 1-गुरुदीप सिंह, आपराधिक वाद संख्या 3233 सन् 2021, धारा 419, 467, 468, 471 आई.पी.सी. में अभियोजन साक्षी है, जो ए.सी.जे.एम., कासगंज के न्यायालय में लंबित है। उसकी मुख्य परीक्षा दर्ज की जा चुकी थी और उसकी जिरह के लिए अगली तिथि 24.10.2025 नियत थी। आवेदक संख्या 1 को उक्त मामले के

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



अभियुक्तों के पक्ष में गवाही देने के लिए विवश करने के उद्देश्य से ही दिनांक 28.09.2025 को झूठे आरोपों के आधार पर यह प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई। प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगाए गए मारपीट के आरोपों की पुष्टि करने के लिए कोई चोट संबंधी रिपोर्ट नहीं है। आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदकों के विरुद्ध कुछ आपराधिक मामले हैं, तथापि वे पूर्व दोषसिद्ध व्यक्ति नहीं हैं।

4. सूचनादाता के विद्वान अधिवक्ता ने जमानत की प्रार्थना का विरोध किया और तर्क दिया कि यह कहना गलत है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों की पुष्टि करने के लिए कोई चिकित्सीय रिपोर्ट नहीं है। घायल सिमरनजीत, जो स्वयं सूचनादाता है, का चिकित्सीय परीक्षण दिनांक 29.09.2025 को हुआ है। तथापि, सूचनादाता के विद्वान अधिवक्ता ने स्वीकार किया कि सूचनादाता के पति का चिकित्सीय परीक्षण नहीं कराया गया तथा सूचनादाता की चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट में भी कोई ताजा बाह्य चोट नहीं पाई गई। सूचनादाता के विद्वान अधिवक्ता ने आगे इंगित किया कि यह झूठा मामला बनाया जा रहा है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट आपराधिक वाद संख्या 3233 सन् 2021 में अभियुक्तों के पक्ष में गवाही देने के लिए आवेदक संख्या 1 को विवश करने का प्रयास है। आवेदक संख्या 2 को छोड़कर सभी आवेदकों के आपराधिक पूर्ववृत्त हैं, जो अपराध को दोहराने की प्रवृत्ति दर्शाते हैं और उन्हें अग्रिम जमानत प्रदान करने के लिए विचार नहीं किया जाना चाहिए।

5. विद्वान ए.जी.ए. ने भी सूचनादाता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों को अपनाया है।

6. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



7. इस न्यायालय ने आपराधिक विविध रिट याचिका संख्या 23308/2025 (हनेंद्र जोत और 3 अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य) में, उसमें याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता (वर्तमान मामले में आवेदक) के तर्कों पर ध्यान देने के पश्चात, दिनांक 20.01.2026 के आदेश द्वारा आवेदकों को अंतरिम राहत प्रदान की थी। ऐसा प्रतीत होता है कि पक्षकारों के बीच सिविल विवाद है। तहसीलदार, तहसील सहावर द्वारा दिनांक 19.03.2020 को पारित आदेश के विरुद्ध अपील प्रस्तुत की गई है, जिसे अब आवेदकों के पक्ष में स्वीकार किए जाने की बात कही गई है। न्यायालय की प्रथम दृष्टया राय में, प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों की प्रकृति तथा सूचनादाता और कथित घायल व्यक्ति के शरीर पर किसी भी चोट के अभाव को ध्यान में रखते हुए, आवेदकों को झूठा फंसाए जाने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। आवेदकों के आपराधिक पूर्ववृत्तों का समुचित रूप से स्पष्टीकरण दिया गया है। आवेदक पूर्व दोषसिद्ध व्यक्ति नहीं हैं। आवेदक संख्या 1 की आयु लगभग 68 वर्ष बताई गई है और आवेदक संख्या 2 से 4 उसके पुत्र हैं।

8. मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए तथा मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मैं आवेदकों को अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाना उचित समझता हूँ।

9. उपर्युक्त के दृष्टिगत, आवेदकों का अग्रिम जमानत आवेदन **स्वीकार** किया जाता है।

10. उपर्युक्त मुकदमा अपराध में संलिप्त आवेदक **गुरुदीप सिंह, हनेंद्र जोत, मनेंद्र जोत सिंह और सुनेंद्र जोत सिंह** की गिरफ्तारी की स्थिति में, उन्हें तत्काल उपर्युक्त मुकदमा अपराध में अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाएगा, बशर्ते कि वे संबंधित थाना प्रभारी/संबंधित न्यायालय की संतुष्टि



के लिए समान धनराशि का व्यक्तिगत बंधपत्र तथा प्रत्येक के लिए समान धनराशि का जमानतदार प्रस्तुत करें, निम्नलिखित शर्तों के साथ:-

- i. आवेदक जब भी आवश्यक हो, किसी पुलिस अधिकारी द्वारा पूछताछ के लिए स्वयं को उपलब्ध कराएंगे;
- ii. आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देंगे, जिससे वह ऐसे तथ्यों को न्यायालय अथवा किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से विमुख हो जाए;
- iii. आवेदक न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेंगे;
- iv. आवेदक अभियोजन साक्षी पर दबाव नहीं डालेंगे/उसे भयभीत नहीं करेंगे।

11. उपर्युक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में संबंधित न्यायालय जमानत निरस्त करने के लिए स्वतंत्र होगा।

12. यह स्पष्ट किया जाता है कि उपर्युक्त की गई टिप्पणियां केवल वर्तमान अग्रिम जमानत आवेदन के निर्णय के उद्देश्य से हैं और इन्हें मामले के गुण-दोष पर राय नहीं माना जाएगा।

(न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला)

31 अगस्त, 2026

सचिन

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।